भाग–2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या............................

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के निर्माण के क्रम में पश्चिमी क्षेत्र के नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु **765 के.वी. डबल सर्किट जबलपुर-उरई ट्रांसमीशन लाइन** का निर्माण जिसके द्वारा संयुक्त परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश से उत्पादित बिजली से उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों के विद्युत नेटवर्क को मजबूती प्रदान किया जायेगा जिससे औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में वृहद् रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	जालौन
(iii)	वन प्रभाग	सा0वा0 वन प्रभाग, उरई (जालौन)
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	42.60301 हे०
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	**0.1**
(vii)	प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजना के संबंध में एफ.आर.एल.एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एक आर एफ एल-4 मीटर भी संलग्न किया जाये।	**संलग्न है**
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू क्षरण के लिए क्षेत्र संवेदनशील नही है
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	0 किमी0
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वाईन की टिप्पणियाफं अनुबंधित की जाय)	नही
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ठ प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नही
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं
8.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेक्ष क्या हैं?	प्रस्तावित वन भूमि की आवश्कता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहें हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/	संलग्न है

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कोंच, वन प्रभाग

प्रभागीय वन संरक्षक
सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग

	अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमीत वन क्षेत्र और आस-पास की सीमओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वियन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढॉंचा आदि।	संलग्न है
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	1538028.7.00
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाय।)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र प्रबंधकीय दृष्टिकोण से उपयुक्त है।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषत: उपर्युक्त कालम 7(xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये। (संलग्न करें)	कोई नही
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	**4565** sq.km
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	**25639.35** हे०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	5 मामले **(55.148 हे०)**
(iv)	1980 से ज़िला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेतर भूमि पर	 **55.148** हे० **00**
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	 **55.148** हे० **00**
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

तिथि:
स्थान:

प्रभागीय वनाधिकारी
कोंच, वन प्रभाग
उरई (जालौन)

(बी0 आर0 अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी
जालौन सा0वा0, वन प्रभाग उरई।
जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उरई (जालौन)